

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—मु० अ०—४ (मु०)—नाबार्ड—०३—३११/२०१७ ३५७

/पटना, दिनांक—०१/०२/२०१८

प्रेषक,

संजय कुमार, भाग्यसे०
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा
समाजिक
सेवा
संस्था
से प्रभागित
कार्यपालिका

विषय: योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के भोजपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पीरो अन्तर्गत पीरो प्रखंड के टेलार स्कूल से रामनगर सकरी (मठिया बी०टी० रोड) भाया कटरिया गाँव तक पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख—रखाव कार्य जिसकी लम्बाई ५.२५ कि०मी० निर्माण हेतु रु० ३०१.५५ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० २३.८७ लाख अर्थात् कुल ३२५.४२ लाख रुपये (तीन करोड़ पच्चीस लाख बियालिस हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के भोजपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पीरो अन्तर्गत पीरो प्रखंड के टेलार स्कूल से रामनगर सकरी (मठिया बी०टी० रोड) भाया कटरिया गाँव तक पथ निर्माण एवं पॉच वर्षीय रख—रखाव कार्य जिसकी लम्बाई ५.२५ कि०मी० निर्माण हेतु रु० ३०१.५५ लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० २३.८७ लाख अर्थात् कुल ३२५.४२ लाख रुपये (तीन करोड़ पच्चीस लाख बियालिस हजार रुपये) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष २०१७—१८ एवं २०१८—१९ में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड ३७—४५१५००१०३०१०५ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७—१८ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष ४५१५—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—१०३—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१७—१८ में ४५४.३१ करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के १० तारीख: तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल आरा एवं मुख्य अभियंता—१, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पीरो यह सुनिश्चित करेगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।

8. इस योजना का चयन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या— मु० अ०-४ (मु०)–नाबार्ड–०३–३११/२०१७ के पृ० स०–०३/टि० पर दिनांक ०१.१२.२०१७ को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका स०— मु० अ०-४ (मु०) नाबार्ड–०३–३११/२०१७ के पृ० स०–०५/टि० पर दिनांक–२०.१२.२०१७ को प्राप्त है।
10. बिहार कोषागार संहित में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–४–४५/९४–३०१ वि (२) दिनांक ३१.०१.१९९५ एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (८)–११–२००५–५०९० वि (२) दिनांक १५.०९.०५ एवं २९५ दिनांक २४.०३.१५ के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प स० ९६ दिनांक ०३.०१.२००८ में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका स०— मु० अ०-४ (मु०) नाबार्ड–०३–३११/२०१७ के पृ० संख्या–०४/टि० पर दिनांक–२५.०१.११ को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, पीरो से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्रावकलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्व किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक–७७०, दिनांक २०.०९.११ के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विश्वासमाज
२९.०१.१८
(संजय कुमार)
अपर सचिव

ज्ञापांक— मु० अ०-४ (मु०)–नाबार्ड–०३–३११/२०१७ ३५७

/पटना, दिनांक–०१/०२/१८

प्रतिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक मु० अ०-४ (मु०)–नाबार्ड–०३–३११/२०१७ ३५७

/पटना, दिनांक–०१/०२/१८

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त, भोजपुर/अभियंता प्रमुख सह–सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता–१, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमण्डल, पीरो/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव